न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—343/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/343)

1. श्रीमती विमला देवी पत्नी श्री भागचंद, जाति रावत, निवासी मकान नम्बर जी—80—81, गणेश गुवाडी, ए—वलॉक, पंचशील नगर योजना, अजमेर

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती अन्नी देवी पुत्री स्व0 श्री दुलसिंह
2. श्री कालू सिंह पुत्र स्व0 श्री दुलसिंह
3. श्रीमती भोली देवी पत्नी स्व0 श्री अन्ना सिंह
4. श्री हेमसिंह पुत्र स्व0 श्री अन्ना सिंह
5. श्री लाडू सिंह पुत्र स्व0 श्री अन्ना सिंह
6. श्री बबलू सिंह पुत्र स्व0 श्री अन्ना सिंह
7. श्रीमती मीरा देवी पत्नी स्व0 श्री भंवर सिंह पुत्रवधु स्व0 श्री अन्ना सिंह
8. श्री राहुल सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह पौत्र स्व0 श्री अन्ना सिंह
9. श्री रोहित सिंह पुत्र स्व0 श्री भंवर सिंह पौत्र स्व0 श्री अन्ना सिंह
10. सुश्री ममता पुत्री स्व0 श्री भंवर सिंह पौत्र स्व0 श्री अन्ना सिंह
    समस्त जाति रावत, निवासीगण ग्राम लाडपुरा तहसील व जिला अजमेर।
11. श्रीमती रामी देवी पत्नी श्री लक्ष्मण सिंह, जाति रावत, निवासी ग्राम माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, जिला अजमेर

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, सहायक कलक्टर , अजमेर विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.06.2016 राजस्व वाद संख्या 20/2007

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0राजावत, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 12.
3. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—06.12.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 20/2007 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि विपक्षी/रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2017 अंतर्गत धारा 88, 91, 92 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अपीलांट व अन्य रेस्पोडेंट के विरूद्ध सहायक कलक्टर, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। तत्पश्चात पत्रावली विपक्षी/रेस्पोडेंट अन्ना सिंह के स्वर्गवास हो जाने से विधिक वारिसान की कार्यवाही की जाकर तलबी हेतु विचाराधीन रही एवं इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 श्रीमती रामी की तलबी एवं जवाब अप्रार्थीगण हेतु विचाराधीन रहते हुए दिनांक 18.3.2016 तक पेशियां परिवर्तित होती रही, तथा दिनांक 18.3.2016 से दिनांक 12.5.2016 की पेशी नियत की गई, परंतु पत्रावली नियत दिनांक को प्रस्तुत नहीं होकर बिना किसी सूचना व नोटिस के पत्रावली केम्प कोर्ट भूडोल के समक्ष दिनांक 15.6.2016 को नियत की जाकर पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता की अनुपस्थिति में अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 3 के अभिभाषक की उपस्थिति दर्ज करते हुए अपीलांट/अप्रार्थी के विरूद्ध सहायक कलक्टर अजमेर द्वारा लोक अदालत में एकपक्षीय आदेश दिनांक 15.6.2016 को पारित कर दिये। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर के द्वारा प्रकरण संख्या 20/2007 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 11 बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर बहस करते हुए निवदेन किया कि प्रकरण में दिनांक 18.3.2016 से दिनांक 12.5.2016 की पेशी नियत की गई परंतु दिनांक 12.5.2016 को पत्रावली प्रस्तुत नहीं होकर पक्षकारान को किसी प्रकार से नोटिस प्रेषित कर सूचित किए बिना तथा सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान किए बिना एकपक्षीय एवं विधि–विरूद्ध आदेश दिनांक 15.6.2016 पारित कर पत्रावली को निर्णय कर दिया गया तथा मूल वाद की पत्रावली विचाराधीन रही जिस पर निरंतर तारीख पेशी प्रदान की जाकर आगामी पेशी दिनांक 15.11.2022 नियत है परंतु चूंकि दिनांक 15.6.2016 के पश्चात अधिकतर समय पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से सामान्य रूप से पेशियां परिवर्तित कर दिए जाने से पत्रावली का अवलोकन नहीं किया गया इस कारण एकपक्षीय व विधि–विरूद्ध आदेश दिनांक 15.6.2016 की जानकारी प्रार्थीया को नहीं हुई प्रार्थीया को एकपक्षीय एवं विधि विरूद्ध आदेश की जानकारी दिनांक 7.9.2022 को हुई, जब अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा फसल कटाई के समय आदेश दिनांक 15.6.2016 से अवगत करवाते हुए कृषि कार्य को रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर प्रार्थीया द्वारा अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर दिनांक 9.9.2022 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 15.9.2022 को प्रमाणित प्रति प्राप्त कर फीस की व्यवस्था कर विधिक राय प्राप्त करते हुए तिथि दिनांक 7.9.2022 से अपील निर्धारित समयावधि में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि लोक अदालत अधिनियम के तहत यह आज्ञापक व सुस्थापित सिद्धांत है कि

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों को निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में पक्षकारान द्वारा सहमत होकर विधिवत रूप से लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया हो परंतु उक्त प्रकरण में सहायक कलक्टर अजमेर के समक्ष ना तो प्रकरण के पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित हुए ना ही न्यायालय द्वारा केम्प कोर्ट, भूडोल दिनांक 15.6.2016 के लिए किसी प्रकार का कोई नोटिस जारी कर विधिवत तामील करवाते हुए सूचित किया गया, तथा ना ही पक्षकारान द्वारा किसी प्राकर का कोइ लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया, ऐसी स्थिति में सिद्धांतो के विपरीत जाकर एकपक्षीय आदेश दिनांक 15.6.2016 पारित कर दिया। पत्रावली नियत दिनांक 18.3.2016 से दिनांक 12.5.2016 की पेशी हेतु नियत की गई, जिस पर पत्रावली न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुई, तथा विधिक प्रक्रिया की पालना किए बिना पक्षकारान एवं उनके अधिवक्ता को सूचित किए केम्प कोर्ट, भूडोल की पेशी दिनांक 15.6.2016 नियत कर प्रकरण में आदेश पारित कर दिया। विपक्षी संख्या 01 स्व0 श्री अन्ना सिंह के विधिक वारिसान की तलबी हेतु विचाराधीन रहा, जिन वारिसान की तलबी पूर्ण नहीं हुई ना वारिसान व राज्य सरकार का कोई जवाब प्रस्तुत हुआ, पत्रावली पूर्ण नहीं होने के पश्चात भी प्रावधानों का उल्लंघन कर विपरीत निर्णय पारित किया गया। प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के हक में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों ही बिंदु अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु सिद्ध होना नहीं माना गया है, ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/रेस्पोडेंटस संख्या 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 निरस्त किए जाने योग्य था, लेकिन इसके उपरांत भी अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। श्रीमती रामी देवी स्व0 श्री मानसिंह उर्फ माना पुत्र स्व0 श्री दुलसिंह जिनका कि स्वर्गवास दिनांक 12.4.1996 को हो चुका था, कि एकमात्र विधिक वारिस एवं पुत्री होने से जरिए नामांतकरण संख्या 83 दिनांक 11.09.1998 द्वारा खातेदारी श्रीमती रामी देवी के नाम स्वीकृत की गई, जिनमें खसरा नम्बर 719 व 43/1295 की भूमियां स्व0 श्री मानसिंह उर्फ माना की स्वअर्जित तन्हां खातेदारी व आधिपत्य की रही है, जिसके संबंध में उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 72/2004 में पारित आदेश दिनांक 24.10.2005 में भी स्वीकार किया गया है। जिस विधिवत खातेदारी व कब्जे–काश्त की भूमियों को अपीलांट/अप्रार्थी संख्या 03 द्वारा जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 11.1.2007 द्वारा बहुमूल्य प्रतिफल राशि श्रीमती रामी देवी को अदा कर स्वामित्व एवं आधिपत्य प्राप्त किया गया, जिस पर आज दिवस तक बहैसियत खातेदार, काविज–काश्त चली आ रही है, ऐसी स्थिति में सदभाविक क्रेता, खातेदार एवं काविज–काश्तकार के विरूद्ध प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति के बिंदु विद्यमान नहीं होने के उपरांत भी प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या 01 व 02 के हक में आदेश दिनांक 15.6.2016 के तहत सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित किए जाने में विधिक त्रुटि कारित की है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें सहायक कलक्टर, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलांट ने मियाद बाहर अपील पेश कि है अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5

मियाद अधिनियम में जो कारण अंकित किए वो सदभाविक नहीं है इसलिए अपीलांट की अपील मियाद पर खारिज की जावें।

7. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं इसलिए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावे।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियो का अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यो का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय लोक अदालत केम्प कोर्ट का कोई नोटिस जारी नहीं किया अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपीलांट की अनुपस्थिति में पारित किया गया है ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से ऐसी स्थिति में उपरोक्त कारणों से अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम का स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।**

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । बाद हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अधीनस्थ न्यायालय ने केम्प कोर्ट लाडपुरा में निर्णय पारित करते समय अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस जारी नहीं किया लोक अदालत में उभयपक्ष की सहमति से ही निर्णय किए जा सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने ही प्रकरण को लोक अदालत में रखकर निर्णय करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। लोक अदालत में उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिन प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा सहमत होकर विधिवत रूप से लिखित राजीनाम प्रस्तुत किया हो उक्त प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह पाया कि उभयपक्षकारन द्वारा किसी प्रकार की सहमति राजीनामा उपस्थिति पत्रावली पर मौजूद नहीं है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक व नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत होने से उपरोक्त कारणों से अधीनस्थ न्यायालय, सहायक कलक्टर (मुख्यालय), अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2007 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 के निर्णय को निरस्त कर एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं।

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 20/2007 में पारित आदेश दिनांक 15.06.2016 को निरस्त किया जाता है तथाप्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकार को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए, प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 पर सभी पक्षकारों को जवाब व सुनवाई का

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

समुचित अवसर देते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रमुख तीन बिन्दुओं क्रमशः प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विस्तृत विवेचन करते हुए, पुनः 30 दिवस में आदेश पारित करें। पक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 09.01.2023 को उपस्थिति होने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 06.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर